



कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्रीमती मधु शर्मा प्राध्यापक संस्कृत राबाउमावि विराटनगर, जयपुर जन्मतिथि 05.05.1966 ने दिनांक 31.08.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 31.12.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्रीमती मधु शर्मा प्राध्यापक संस्कृत राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) अन्तर्गत 45 वर्ष की आयु एवं पन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएं पूर्ण करने संबंधी शर्त पूर्ण करती हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधानान्तर्गत श्रीमती मधु शर्मा प्राध्यापक संस्कृत राबाउमावि विराटनगर जयपुर की दिनांक 31.12.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मधु शर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।

(सौरभ स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

दिनांक: 21.12.2020

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्वै.से.नि./2015-16/2018/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग,
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, विराटनगर, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य, राबाउमावि विराटनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्मिक से ऑडिट संबंधित वसूली/अन्य वसूली यदि भविष्य में निकलती है तो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्मिक की होगी तथा इनके विरुद्ध अन्य कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का स्वयंहस्ताक्षरित शपथ-पत्र प्राप्त कर निर्धारित तिथि को सेवानिवृत्ति संबंधित कार्यवाही करें।
7. कार्मिक श्रीमती मधु शर्मा (वरि.क्रमांक:-496-ए/1992-95, व्या0 पद पर डीपीसी चयन वर्ष-2014-15)
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/प्रभारी ओएसी प्रभाग, अनुभागों को सूचनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर